कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण)
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
73, टैगोर टाउन, इलाहाबाद–211003
ई–मेल :gmdallahabadpvvnl@gmail.com

पत्रसं0 /मु0अ0(वितरण)/पी–2 दिनांक/जनवरी 2014

कार्यालय ज्ञापन

एतद द्वारा पूर्ववर्ती परिषदीय पत्रॉक 548–कार्य/चौदह–बी/98–3–केबी/95 दिनांक 24.4.98 में निहित समस्त दिशा निर्देशो एवं औपचारिकताओं के साथ ही वितरण संहिता 2005 एवं समय–समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों को भी संज्ञान में रखते हुए कियान्वयन किए जाने की शर्त एवं संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण करवाने के उपरान्त किये गये भार ऑकलन के आधार पर उपभोक्ता के पक्ष में की गई संस्तुति के दृष्टिगत अधोनामित उपभोक्ता के पक्ष में अतिरिक्त विद्युत भार की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम एवं पता	स्वीकृत भार (कि0वा0)	दर श्रेणी/प्रयोजन स्वीकृत भार	स्थल का पता
1	2	3	4	5
1	**मेसर्स शम्भूनाथ इन्जीनियरिंग एवं टेक्नालोजी (सीएट), झलवा इलाहाबाद संयोजन संख्या 196011/बीएस**	**पूर्व स्वीकृत भार 84 केवीए अति0भार 166 केवीए कुल भार 250 केवीए (दो सौ पचास केवीए)**	**एचवी–1 शैक्षणिक प्रयोजनार्थ**	**मेसर्स शम्भूनाथ इन्जीनियरिंग एवं टेक्नालोजी (सीएट), झलवा इलाहाबाद**

1– भार निर्गत करने के पूर्व उपभोक्ता द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाणक (बीएल फार्म) एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

2–विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के प्रस्तर 4.28 के अनुसार सर्विस लाइन तथा उपकरणों से संबंधित सामान्य नियम लागू होंगे, जिसमें मीटर रूम की साइज एवं परिवर्तक लगाने हेतु उचित स्थान परिसर में मुख्य द्वार के पास उपलब्ध कराने के साथ अन्य प्राविधानों का वर्णन है ।

3–उपरोक्त स्वीकृत भार उचित क्षमता का परिवर्तक स्थापित कर 11 केवी उत्थान फीडर से 11 केवी विभव पर एकल बिंदु पर अवमुक्त किया किया जायेगा ।

4–उपकरणों की स्थापना प्रदाय संहिता 2005 के अनुसार की जायेगी जिसका स्पष्ट उल्लेख नियम एवं शर्ते जारी करते समय अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा कार्यालय ज्ञापन में किया जाना आवश्यक होगा ।

विशेषः– ***भार की स्वीकृति के बाद प्राक्कलन तैयार करके नियम व षर्ते (टी0एण्ड सी0) जारी की जायेंगी, जो आवेदक को स्वीकृति–पत्र की तारीख से तीन मास के लिये विघिमान्य बना रहेगा (विद्युत प्रदाय संहिता प्रस्तर–4.6)।***

उपरोक्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त किया जाना निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन है :–

1– विरल श्रेणी की इकाईयों द्वारा पीक आवर्स में विद्युत उपभोग पूर्णतया हर दशा में प्रतिबन्धित होगा और इसका उल्लंघन करने पर इकाई का विद्युत संयोजन नियमानुसार विच्छेदित कर दिया जायेगा ।

2– प्रभावित 400/200/132 केवी उप संस्थानों पर स्थापित ट्रॉसफारमरों की निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी ।

3– विद्युत प्रणाली अधिभारित होने के कारण इस बात की पूरी संभावना है कि इकाई की विद्युत आपूर्ति में ब्रेक डाउन, लोड शेडिंग तथा लो वोल्टेज की समस्याऍ विद्यमान रहें ।

4– इस आदेश के जारी होने के दो वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा उक्त वर्णित विद्युत भार उपभोग न करने की दशा में अथवा नियम व शर्ते जारी होने की तिथि से 3 माह के भीतर वांछित धनराशि जमा न किए जाने की दशा में, जो भी पहले हो, से उपरोक्त स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

5– यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उस दशा में भी यह आदेश निरस्त समझा जायेगा ।

6– उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक उपस्थान/क्षेत्र में स्थापित होने

Atenny
8/1/2014

वाली औद्योगिक इकाइयों के भार अवमुक्त करने से पूर्व इकाई को उक्त निगम का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संबंधित अधिशासी अभियन्ता को देना अनिवार्य होगा ।

7– यह स्वीकृति इस शर्त के साथ भी प्रतिबंधित है कि उपभोक्ता को इस विद्युत भार के उपभोग से पूर्व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू0पी0पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड) से अनापत्ति प्रमाणन्पत्र (एन0ओ0सी0) के अतिरिक्त उक्त प्रयोजनार्थ शासन से संबंधित विभाग/सक्षमप्राधिकारी द्वारा (यदि नियमतः आवश्यक हो) भी प्राप्त कर संबंधित अधिशासी अभियन्ता को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

8– उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति निगमीय नियमों के अंतर्गत की जायेगी परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार रोस्टरिंग तथा आपात कालीन कटौती की जा सकती है ।

9– विद्युत आपूर्ति निगम में निहित रेट शिडयूल के वोल्टेज पर ही दी जायेगी ।

10– उक्त भार किसी भी दशा में निगम की किसी भी ट्रंक लाइनको ट्रैप करके अवमुक्त नहीं किया जायेगा

11– किसी भी दशा में शहरी पोषक को नगर पालिका/नगर महापालिका टाउन एरिया की सीमा से बाहर बढाकर विद्युत भार अवमुक्त नहीं किया जायेगा ।

12– स्वतंत्र पोषक द्वारा विद्युत भार अवमुक्त करने हेतु निगम के समय–समय पर प्रभावी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

13– यदि कालम–5 में उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम पहले से कोई संयोजनरहा हो तो उक्त भार तब तक अवमुक्त (रिलीज) नहीं किया जायेगा जब तक उस पुराने संयोजन अथवा उपभोक्ता के विरूद्ध बकाया निगमीय धनराशि (यदि कोई हो) के भुगतान हेतु वितरण संहिता–2005 के अध्याय–4 की धारा 4.49 में निहित प्रकिया के अनुसार उपभोक्ता द्वारा शर्ते पूरी न कर ली जाये।

14– यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता और निगम के मध्य कोई न्यायिक विवाद अथवा कोर्ट केस लम्बित हो, तो उस दशा में भी विद्युत भार अवमुक्त (रिलीज) नहीं किया जायेगा ।

15– वितरण संहिता–2005 द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा ।

विपरीत प्रणाली दशाओं/आपातकालीन रोस्टरिंग अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत आवश्यकता/मॉग बनाए रखने के लिए उपभोक्ता को परामर्श दिया जाता है कि उपयुक्त क्षमता का/के जेनरेटिंग सेट लगा ले जिसके लिए वे निगम की पूर्वानुमति अलग से प्राप्त कर सकते है ।

अंजय कुमार सिंह
मुख्य अभियन्ता (वितरण)

संख्या 115 /मु0अ0/इला0क्षे0/पी–2 दिनांक/जनवरी 08 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेषन लिमिटेड, लखनउ
2– प्रबन्ध निदेशक (वितरण), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी
3– आयुक्त इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद ।
4– अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–2, इलाहाबाद
5– अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड बमरौली,, इलाहाबाद ।
6– अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड इलाहाबाद
7– **मेसर्स शम्भूनाथ इन्जीनियरिंग एवं टेक्नालोजी (सीएट), झलवा इलाहाबाद संयोजन संख्या 196011/बीएस**

8/1/2014

(ए0आर0वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता (वाणि0)
कृते मुख्य अभियन्ता(वितरण)